(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1510–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–4–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गुना प्रकरण कमांक 79/अपील/2012–13.

आनन्द मोहन पुत्र चन्द्रमोहन जुत्सी
निवासी जीवन मार्केट प्रेम भवन
ए.बी. रोड, गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती मालती पुत्री स्व. राजेन्द्र जुत्सी
2– श्रीमती सरोज पुत्री स्व. राजेन्द्र जुत्सी
3– श्रीमती रेणु पुत्री स्व. राजेन्द्र जुत्सी
4– चित्रांश पुत्र प्रवीण
5– श्रीमती कुसुम बाई उर्फ इन्द्रा
पत्नी स्व. राजेन्द्र जुत्सी
6– अरूण पुत्र प्राणनाथ
7– अशोक पुत्र प्राणनाथ
8– मधु पुत्री चन्द्रमोहन
9– कुसुम पुत्री चन्द्रमोहन
निवासीगण जीवन मार्केट प्रेम भवन
ए.बी. रोड गुना
10– पटवारी मेहरबान सिंह तहसील गुना .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री सौरभ जैन,अभिभाषक अनावेदक कमांक 1 से 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–4–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 79/अपील/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनाबेदक कमांक 6 एवं 7 के पिता प्राणनाथ एवं अनावेदक कमांक 8 एवं 9 के पिता चन्द्रमोहन की मृत्यु होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–4–16 को मृतक के वारिसों की अपील मेमों में प्रविष्टि कर वारिसान को आहूत करने हेतु तलवाना स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से तामील कराये जाने हेतु प्रस्तुत किये जाने पर तलवाना अनुसार वारिसान को तलब करने के निर्देश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की अनुसूची–1 के नियम 4 लगायत 8 को अनदेखा कर प्रथम बार ही रजिस्टर्ड पोस्ट से सूचना पत्र निर्वाह कराने के निर्देश देने में विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र की तामीली के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं हुई है, क्योंकि प्रकरण में संबंधित पक्षकार पर सूचना पत्र की तामीली होना महत्वपूर्ण है, प्रकिया महत्वहीन है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 4 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वारिसानों को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए.डी. के माध्यम से सूचना पत्र की तामीली कराने के निर्देश दिये गये हैं । अनुविभागीय अधिकारी के इन्हीं निर्देशों के विरूद्ध तकनीकी आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि प्रकरण में महत्वपूर्ण सम्बंधित पक्षकारों को सूचना पत्र की तामीली कराना है, तामील कराने की विधि महत्वहीन है । स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए.डी. से सूचना पत्र तामील कराने के निर्देश देने

का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को अन्तर्निहित शक्तियों के तहत प्राप्त है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–4–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर